न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **उम्मेदी लाल मीना** आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 02/2018

अनवानः–

1. दीपक कुमार पुत्र श्री औम कुमार, जाति बिश्नोई, निवासी चक 4 एलकेएस "बी", ग्राम पंचायत लखासर तहसील पीलीबंगा।
2. जगदीश पुत्र श्री हनुमानप्रसाद, जाति बिश्नोई, निवासी चक 4 एलकेएस "बी", ग्राम पंचायत लखासर तहसील पीलीबंगा।
3. गोपीराम पुत्र श्री रामलाल जाति बिश्नोई, निवासी चक 4 एलकेएस "बी", ग्राम पंचायत लखासर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्री चेतनराम, जाति भाट, निवासीगण चक 4 एलकेएस " बी" ग्राम पंचायत लखासर, तहसील पीलीबंगा।
2. साहबराम पुत्र श्री चेतनराम, जाति भाट, निवासीगण चक 4 एलकेएस " बी" ग्राम पंचायत लखासर, तहसील पीलीबंगा।
3. रिछपाल पुत्र श्री चेतनराम, जाति भाट, निवासीगण चक 4 एलकेएस " बी" ग्राम पंचायत लखासर, तहसील पीलीबंगा।
4. रामस्परूप पुत्र श्री चेतनराम, जाति भाट, निवासीगण चक 4 एलकेएस " बी" ग्राम पंचायत लखासर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
5. ग्राम पंचायत लखासर पंचायत समिति पीलीबंगा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लखासर, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

असल अप्रार्थीगण

6. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चक 4 लखासर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

तरतीबी अप्रार्थी

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध प्रस्ताव सं0 01 दिनांक 26–06–2017 जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत लखासर की आबादी भूमि में पाठशाला एवं क्रीड़ास्थल के लिये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड में से अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पक्ष में दिनांक 29–06–2017 को पट्टे जारी किये गये। बमुराद अपास्त किये जाने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 29–06–2017 व पट्टे विलेख दिनांक 29–06–2017 व स्वीकार किये जाने निगरानी प्रार्थना–पत्र।

(मुहर: अपर जिला कलक्टर ★ हनुमानगढ़ ★)

उपस्थितः–

1 श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2 श्री जयपाल झोरड़ अप्रार्थी सं. 1 ता 4
3. श्री नेकीराम अप्रार्थी सं0 5

–:निर्णयः–

दिनांकः–11.12.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य [illegible] इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण चक 4 एलकेएस " बी" के स्थाई निवासी है [illegible] आबादी भूमि में आरक्षित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड के अनुरक्षण में हितबद्ध है। [illegible] ग्राम पंचायत लखासर के अधीन चक 4 एलकेएस " बी" की आबादी भूमि आती है। चक 4 एलकेएस " बी" की आबादी भूमि में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड है तथा आबादी के चक प्लान में दक्षिणी पूर्वी कोने पर पाठशाला एवं क्रीड़ास्थल के लिये स्थान आरक्षित है। इस सार्वजनिक भूखण्ड पर सन् 1981 में पाठशाला का निर्माण हो चुका है तथा इसमें राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 4 एलकेएस " बी" का संचालन राज्य सरकार कर रही है। इस पाठशाला के लिये निर्मित भवन

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

के पूर्व की तरफ शेष भू–भाग क्रीडास्थल के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त क्रीड़ास्थल पर अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण कर रखा था तथा इस अतिक्रमण को हटाने के लिये प्रार्थीगण एवं अन्य ग्रामवासियों ने प्रशासन के समक्ष शिकायत की थी। इसी क्रम में वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पीलीबंगा ने भी अपने पत्रांक सी०ई०ई०ओ० / पीली / 2012–13 /75 दिनांक 13–05–2012 के जरिये अप्रार्थी संख्या 6 को अतिक्रमण हटवाने हेतु निर्देशित किया था तथा अप्रार्थी संख्या 6 के तत्कालीन प्रधानाध्यापक ने पत्र क्रमांक 38 दिनांक 06–08–2014 प्रेषित कर अतिक्रमण हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही भी की। तत्समय पाठशाला के उक्त क्रीड़ास्थल पर चार दीवारी नहीं थी तथा चार दीवारी के निर्माण हेतु आवश्यक बजट प्राप्त करने हेतु इस भूखण्ड का पट्टा जरूरी होने के कारण पाठशाला व क्रीडास्थल का पट्टा जारी करने हेतु उच्चाधिकारियों को पत्र क्रमांक 450 दिनांक 05–01–2013 को प्रेषित किया गया। ग्राम पंचायत लखासर के वर्तमान सरपंच श्री भूप सिहं ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित उक्त पाठशाला एवं क्रीड़ास्थल पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के अतिक्रमण को हटाने की बजाय अपने अन्तर्रस्थ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 से साजबाज कर आरक्षित क्रीड़ास्थल पर अतिक्रमित भूखण्डों का पट्टा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पक्ष में जारी करने का प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 29–06–2017 पारित कर दिनांक 29–06–2017 को चुनौतीधीन पट्टा विलेख दिनांक 29–06–2017 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पक्ष में जारी किये हैं। प्रार्थीगण इन पट्टा विलेखों को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं:–

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख कतई गलत व विधि विरूद्ध – अनुचित एवं पचांयत राज अधिनियम के अधीन बने नियमों के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत पट्टों में वर्णित भूखण्ड ग्राम पंचायत लखासर के अधीन चक 4 एलकेएस "बी" की आबादी भूमि में पाठशाला एवं क्रीड़ास्थल के रूप में आरक्षित भूखण्ड है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड के सम्बन्ध में पट्टा विलेख जारी करवाने का अधिकार नहीं है तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 5 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड के सम्बन्ध में पट्टा विलेख जारी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्डों की मात्र न्यासी (trustee) है उसे इन भूखण्डों को व्ययनित अथवा अन्तरित करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित क्रीड़ास्थल पर अतिक्रमण किया हुआ था तथा इस अतिक्रमण को हटाने हेतु ग्रामवासी एवं प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 6 के राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रधानाध्यापक द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की हुई थी तथा प्रशासन का हस्तक्षेप वाछित होने से उच्चाधिकारियों के समक्ष निवेदन किया जा चुका था। अप्रार्थी संख्या 5 ने इन अतिक्रमणकारियों को हटाने हेतु अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न कर उनके अवैध कब्जा को नियमित कर उनके पक्ष में पट्टे जारी करने की विधि विरूद्ध कार्यवाही की है। अप्रार्थीगण परस्पर सगे भाई है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड पर उनका अवैध कब्जा होने के आधार पर वे इस भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत क्रीडास्थल भू–भाग का पट्टा जारी करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को नहीं थी। उक्त नियमों के नियम 157 (1) के अन्तर्गत भी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूखण्ड को नियमित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 5 ने कथित भूखण्ड के संबंध में पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आपति सूचना जारी की व ना ही मौका का निरीक्षण किया तथा ना ही पंचायत के नक्शा में यह भूखण्ड क्रीडास्थल के लिये आरक्षित होने की स्थिति को दृष्टिगत रखा जबकि अप्रार्थी संख्या 5 के अभिलेख में यह स्थल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित रहा है। अप्रार्थी संख्या 5 ने इन तथ्यों को छिपाकर अतिक्रमणकारियों को अनुचित लाभ देने के आशय से विधि विरूद्व रूप से पट्टे जारी किये हैं तथा यह पट्टे जारी करने के एक माह पश्चात् अपने इस गलत व विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2026.01.07 11:40:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

विरूद्व कृत्य को वैद्य करार देने के आशय से दैनिक समाचार पत्रिका "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 27–07–2017 को विज्ञप्ति जारी कर इन जारीशुदा पट्टों के सम्बन्ध में आपतियां मांगी। इस पर पंचायत समिति पीलीबंगा के डॉयरेक्टर श्री इन्द्रजीत व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 5 के इस विधि विरूद्व कृत्य के सम्बन्ध में उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा के समक्ष प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 5 ने बावजूद निवेदन के प्रार्थीगण को इन पट्टा विलेखों की पत्रियां नहीं दी व अन्ततः माह नवम्बर 2017 के तीसरे सप्ताह में इन पट्टा विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां दी हैं। प्रश्नगत भूखण्ड राजकीय प्राथमिक विद्यालय चक 4 एलकेएस "बी" के लिये आरक्षित है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 6 को उचित पक्षकार होने के कारण बतौर तरतीबी अप्रार्थी संयोजित कर रहे हैं ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति प्रकट हो सके। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 29–06–2017 व पट्टा विलेख दिनांक 29–06–2017 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गई। अप्रार्थी 01 से 05 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जा शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पीलीबंगा ने भी अपने पत्रांक सी०ई०ई०ओ० / पीली / 2012–13 /75 दिनांक 13–05–2012 के जरिये अप्रार्थी संख्या 6 को अतिक्रमण हटवाने हेतु निर्देशित किया था तथा अप्रार्थी संख्या 6 के तत्कालीन प्रधानाध्यापक ने पत्र क्रमांक 38 दिनांक 06–08–2014 प्रेषित कर अतिक्रमण हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही भी की। ग्राम पंचायत लखासर के वर्तमान सरपंच श्री भूप सिहं ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित उक्त पाठशाला एवं क्रीड़ास्थल पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के अतिक्रमण को हटाने की बजाय अपने अन्तर्स्थ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 से साजबाज कर आरक्षित क्रीड़ास्थल पर अतिक्रमित भूखण्डों का पट्टा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पक्ष में जारी करने का प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 29–06–2017 पारित कर दिनांक 29–06–2017 को चुनौतीधीन पट्टा विलेख दिनांक 29–06–2017 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पक्ष में जारी किये हैं। अतः अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 29–06–2017 व पट्टा विलेख दिनांक 29–06–2017 को अपास्त फरमाया जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड़ अर्थात विद्यालय का क्रिड़ास्थल की ग्राम पंचायत मात्र एक trustee है तथा इस भूखण्ड को आवंटित करने की ग्राम पंचायत को अधिकारिता नहीं है इस संबंध में AIR 1994 Raj Page 87, DNJ 2011 (2) Page 977 Raj and DNJ 2021 (2) Page 498 Raj पेश किये।
2. उक्त पटटे Void and illegal है जिसके संबंध में RLR 1998 (2) Page 95, DNJ 2010 (3), DNJ 2017 (2) Page 730 Raj, DNJ 2024 (1) Page 275 Raj पेश किये।
3. प्रार्थीगण aggrived persons है जो निगरानी प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत एवं सक्षम है जिसके समर्थन में RRD 1983 Page 328, RRD 1983 Page 668 पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:48 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं0 01 ता 04 ने बहस में कथन किया कि पत्रावली में किसी भी संस्था द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई है कि यह भूमि प्राथमिक विद्यालय के मैदान हेतु आरक्षित है। यह निगरानी 04 पटटो के विरूद्ध के पेश की गयी है। अलग–अलग पटटे होने व पत्रावली अलग–अलग होने की चुनौती भी धारा 97 के तहत अलग–अलग दायर की जानी चाहिए थी, इस बात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने विधि विरूद्ध माना है। उक्त पटटे धारा 157 (1) के तहत नियमितीकरण शुल्क जमा करवाने के बाद पटटा जारी किया गया है। उक्त सभी भाट जाति के गरीब व्यक्ति है जिन्होने उक्त स्थान पर अपने

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

मकान बना रखे है। पंचायत द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था व मुआवजा नहीं दिये जाने तक उक्त पटटों के निरस्तीकरण की कार्यवाही से उक्त सभी को अपरिमेय की क्षति होगी। प्रकरण में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की आड़ में मात्र राजनैतिक उददेश्यों की पूर्ति हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रार्थीयान का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 05 ने बहस में कथन किये कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं0 01 ता 04 को जारी पटटे विधि अनुसार है इसलिए अतः प्रार्थीयान का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. ग्राम पंचायत लखासर तहसील पीलीबंगा के उक्त चारों पटटों से संबंधित बैठक कार्यवाही रजिस्टर में कोई कार्यवाही विवरण अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत लखासर तहसील पीलीबंगा द्वारा बिना प्रस्ताव लिये ही उक्त चारों पटटे जारी किये गये है।
2. पटटों की फाईलों में ग्राम पंचायत लखासर तहसील पीलीबंगा द्वारा प्रारूप 22 आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आंमत्रित करने के नोटिस नियमानुसार नहीं है, नोटिसों में भूमि का विवरण नहीं है। निरीक्षण वार्ड पंचों की रिपोर्ट भी अधूरी है। हल्का पटवारी रिपोर्ट पर पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है।

उक्त विवेचना की रोशनी में निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत लखासर पंचायत समिति पीलीबंगा द्वारा जारी पटटा सं0 01 दिनांक 29–06–2017 (रामकुमार पुत्र चेतनराम को जारी), पटटा सं0 02 दिनांक 29–06–2017 (साहबराम पुत्र चेतनराम को जारी), पटटा सं0 03 दिनांक 29–06–2017 (रिछपाल पुत्र चेतनराम को जारी) एवं पटटा सं0 03 दिनांक 29–06–2017 (रामस्वरूप पुत्र चेतनराम को जारी) को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:40:48 IST
Reason: SelfAttested